[Shri Sezhiyan]

they may be, if you want, you can condemn them in a court of enquiry. In the Orissa affair, in the Madras affair, if in all these things you want to gain the confidence of the people, you can institute a judicial enquiry. You should enquire not only into the firing but into the whole background, why there was violence, how it was created, why there were so many deaths, why should the army be sent there and why did it machine-gun the poor helpless people there. All these things should be gone into, in all their entirety. Then only you will get to know the full picture, but not by doing things in a hush-hush manner or by mudslinging at somebody. There is no use in taking snap decisions or exploring for causes in the Cauvery basin nor in taking out anti-prohibition raids nor going to the toddy shops . . . (*Interruptions.*)

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must conclude now.

Shri Sezhiyan: Sir I am concluding.

Take our sincerity. Please institute a judicial enquiry. We will try to prove how much the atmosphere had been vitiated by the vagueness, by the ambiguity, by the intolerance by the imposition of Hindi imperialism in the South. I thank you, Sir, for this opportunity.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Prime Minister.

Shri Joachim Alva: Sir, before you call upon the hon. Prime Minister to speak, I have a special request to make. We are entitled to hear him uninterrupted because he is our chief spokesman and of the Government. He is the Leader of the House.

Mr. Deputy-Speaker: Let us hope he will not be unnecessarily interrupted.

श्री किशन पटनायक : प्रधान मंत्री अपनी मातृ-भाषा में बोलें या किसी गैर-हिन्दी वाले के लिए प्रधान मंत्री की गद्दी छोड़ दें।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : डिपुटी स्पीकर महोदय यह बहस कल से चल रही है और इस में काफी गर्मी और काफी तेजी दिखलाई गई है। यहां वाद-विवाद करीब करीब इस तरह का रहा है कि एक तरफ़ से जो बात कही जाये उसी को मानना चाहिए उसी को सुनना चाहिए और जहां तक हो सका दूसरी तरफ़ की बात को सुनने से इन्कार किया गया है।

17.39 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सवाल को हमें शान्तिपूर्वक ही देखना है। हम इस में अधैर्य से या बेचैनी से काम नहीं ले सकते।

जहां तक पटनायक साहब या मित्रा साहब का सवाल है उस में बात तो यूं हुई कि प्रेजिडेंट साहब के पास शिकायतें आईं। उन्होंने वे शिकायतें गवर्नमेंट को भेजीं और फिर हमारे सामने यह सवाल था कि हम उन शिकायतों की देख-भाल या जो आरोप लगाए गए उन की जांच किस प्रकार करें। मैंने यह देखने के लिए कि आया कोई प्राइमाफ़ेसी केस कोई ऐसा मामला बनता है जिस में उन्होंने कोई ग़लत काम किया हो या अनुचित बातें की हों या इम्प्रापर बातें की हों उन शिकायतों को अपनी एक कैबिनेट सब-कमेटी के सुपुर्द किया जिस में हमारे काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्ज़ शामिल थे। उस कैबिनेट सब-कमेटी ने उन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से और गौर से देखा। सी०बी०आई० की रिपोर्ट जब आई उसके आधार पर और उस रिपोर्ट में जो बातें थीं और जो कागज़ात थे वे भी कमेटी के पास आये और उस पर करीब एक सौ सवाल बना कर एक सौ क्वेश्चन बना कर भेजे गये मित्र साहब और पटनायक साहब के पास। उन सारे सवालों में जो कुछ सी०बी०आई० में बातें लिखी

गई थीं वे भी शामिल थीं। उनका जवाब आने पर उसके बाद फिर और पूछ ताछ की गई और खुद पटनायक साहब आये। कमेटी के मैम्बरों ने बहुत सी बातों पर जिन पर कमेटी को सन्तोष नहीं था उनसे सवाल किये और उनके उन्होंने जवाब दिये। इतना ही नहीं उसके बाद उन्होंने और बहुत से डाकुमेंट्स भी भेजे बहुत से दूसरे कागजात भी अपनी बातों के सबूत में भेजे, जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया था कमेटी के सामने उसके सबूत में भेजे। वहां के चीफ सैक्रेटरी से भी बयान लिया गया। इस तरह से जो बातें जो शिकायतें रिपोर्ट में थी उनके आधार पर भी उन से जांच पड़ताल की गई।

मैं कोई कानूनी आदमी नहीं हूं। लेकिन यह बात स्वाभाविक है कि सी०बी० आई० को भी अगर कोई मामला आगे बढ़ाना होता है तो वह केस कोर्ट में ले जाती है प्रासीक्यूशन करती है। सी०बी०आई० की रिपोर्ट कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं थी। वह मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सी०बी० आई० की रिपोर्ट पर फैसला करती है। हो सकता है उसके पक्ष में करे हो सकता है उसके खिलाफ करे। इसलिए उस रिपोर्ट को एक आखिरी रिपोर्ट मान लेना यह बात मुनासिब नहीं होगी उचित नहीं होगी।

जो कमेटी ने जांच की जो देखभाल की जो बातचीत की जो सवाल जवाब किये और जो डाकुमेंट्स और कागजात आए उनके पास उनके आधार पर वह एक नतीजे पर पहुंची। उनका नतीजा जैसा आप जानते हैं यह था कि उन लोगों ने कुछ इम्प्रोप्राइटीज की है जिन की वजह से कमेटी ने अपनी राय साफ उस सिलसिले में दी उस सम्बन्ध में दी। वह यही थी कि रुपये पैसे की जहां तक बात है कमेटी ने कहा कि वह शिकायत उनकी राय में साबित नहीं होती है। इस तरह जो एक इम्प्रोप्राइटीज की बात आई और रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैंने यह मुनासिब समझा उन इम्प्रोप्राइटीज की बातों को देख कर कि मैं मित्र साहब से और पटनायक साहब से इस्तीफा देने के लिए कहूं।

आपको याद होगा, सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पीछे जब पार्लिमेंट के सैशन में यह नई जिम्मेदारी ली थी तब मैंने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई इनक्वायरी कोई जांच होगी या कोई शिकायतें की जायेंगी तो शिकायतों और आरोपों की जांच के लिए मैं देखूंगा कि कोई प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है और अगर बना तब मैं मिनिस्टर से कहूंगा कि या तो वह इस्तीफा दे दे या इनक्वायरी कमिशन को फेस करे। तब एक इनक्वायरी कमिशन मुकर्रर किया जाए यह बात मैंने उस वक्त कही थी। मैं उसी पर बिलकुल इस वक्त भी अमल कर रहा हूं। उसी बात पर मैं चल रहा हूं। अगर कोई मिनिस्टर या चीफ़ मिनिस्टर यह कहे कि हम प्राइमा फ़ेसाई बात नहीं मानते जो प्राइमा फेसाई केस बनाया गया है हमारे खिलाफ उसको हम मानते नहीं तो उसका जवाब मेरे पास इतना ही है कि एक कमिशन आफ इन्क्वायरी आपके खिलाफ मुकर्रर किया जाता है लेकिन कमिशन आफ इनक्वायरी जब तक चलता रहेगा तब तक आप मिनिस्टर नहीं रह सकते चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। कमिशन आफ इन्क्वायरी अगर आपको एक्विट कर दे छोड़ दे तब फिर आप अपनी जगह पर दुबारा आ सकते हैं। बिल्कुल उसी नीति को उसी पालिसी को मैंने इस में बरता है।

जब यह बात एक इम्प्रोप्राइटीज की आई तब मैंने मित्र जी से और पटनायक साहब से कहा कि यह स्थिति है, यह कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें आपके खिलाफ इम्प्रोप्राइटीज ये ये प्वाइंट आउट की गई हैं। वैसे तो मैंने अपनी राय दे दी थी और कह दिया था कि हम आप पर छोड़ते हैं आप अपना फैसला इसके अनुसार करें,

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

आप खुद ही इसका फैसला करें कि आपका क्या फर्ज है, क्या कर्त्तव्य है । इस बात का यहां मैं उनको श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस्तीफे दिये । मित्र साहब ने चीफ मिनिस्टरशिप से और पटनायक साहब ने जो चेयरमैन थे बोर्ड के और कमेटीज में, गवर्नमेंट कमेटीज में थे वहां से उन्होंने इस्तीफे दिये, त्यागपत्र दिये । जब यह बात हो गई, इस्तीफा और त्यागपत्र हो गया तब कोई और बातें इम्प्रोप्राइटीज वगैरह की हैं या मिसएप्रोप्रियेशन की हैं, जिसकी चर्चा उधर से की गई है तो मैं कहना चाहता हूं कि एकाउंटेंट जनरल और आडिटर जनरल जो हैं वे उन चीजों को देख रहे हैं । जो उनकी पोजीशन है वह ठीक है । उनकी जांच पड़ताल बड़ी थौरो, बहुत पक्की, बड़ी टैक्नीकल होगी । उसके आने के बाद फिर अखत्यार होगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो और कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह हो ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि कमीशन आफ इनक्वायरी स्थापित करने का नतीजा क्या होगा ? जो यह कहा जाता है कि कमिशन आफ इनक्वायरी मुकर्रर की जाए, उसका क्या परिणाम होगा । नतीजा तो कमीशन आफ इनक्वायरी का यही होगा कि इस्तीफा देने की बात उनसे फिर कही जाए । जो कमिशन आफ इनक्वायरी की सिफारिश होगी अगर वह खिलाफ गई, विरुद्ध गई तो फिर उन से रजिगनेशन ही की बात कही जाए । प्रासीक्यूशन वगैरह की बात तो सैंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं है । गालिबन अभी जैसा कहा गया स्वतन्त्र पार्टी के एक मेम्बर साहब की तरफ से कि प्रासीक्यूशन की गुंजाइश हमारे लिये तो नहीं है, हम तो उसको नहीं कर सकते हैं, वह स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है । वैसे यह कायदा कानून भी है । खैर उस बात को हम छोड़ दें । लेकिन कमिशन आफ इनक्वायरी को कायम करने के बाद भी आप वही चीज करेंगे उसकी सिफारिश आने पर जो चीज कि हमने आज वहां की है । हमने तो एक तरह से देर होने से बचाई है । हमने इस मामले को लम्बा होने से बचाया है । यह चीज हैंग करती है, रुकी रहे, उसको हमने रोका है । इसलिए कमिशन आफ इनक्वायरी की नियुक्ति की बात, उसको मकर्रर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है । मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी जरूरत कहां है ?

जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है एक और बात बड़े जोरों से, बड़ी तेजी से कही जाती है। पोलिटिकल लेवेल पर फैसला लेने की बात मैंने कही थी । अब मैं फिर कहता हूं कि उसके माने यह नहीं हैं कि अगर किसी के खिलाफ हमारे, कोलीग्ज में से या मेरे खिलाफ कोई मिसएप्रोप्रियेशन का चार्ज हो तो उसमें हमारा प्रासीक्यूशन न हो । यह बात तो मैंने नहीं कही । यह पोलिटिकल लेवेल की बात नहीं है। पोलिटिकल लेवेल से मेरा तात्पर्य यह था, पोलिटिकल लेवेल से मतलब यह था, उसके माने यह थे कि जो जिस आफिस को होल्ड करता है अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो फौरन उसके बारे में कार्रवाई यहां गवर्नमेंट की तरफ से या मेरी तरफ से हो जिसमें उनसे इस्तीफा या रेजिगनेशन या त्यागपत्र देने की बात कही जाए । अभी इंग्लैंड में प्रोफ्यूमो केस हुआ है । उस में कुछ डिफेंस सीक्रेट्स की बात भी इनवाल्व्ड थी । उसका हुआ क्या ? उसका नतीजा तो यही हुआ कि उनका इस्तीफा लिया गया ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ इनक्वायरी करना यह कोई छोटी बात नहीं है । साधारणतः एक चीफ मिनिस्टर और वह, वह चीफ मिनिस्टर जिसको कि पार्टी का पूरा समर्थन हासिल

हो, पूरी सपोर्ट हासिल हो, कोई छोटी बात नहीं है । खैर, एक तो हमने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इनक्वायरी की । फिर इनक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद हमने उसे इस्तीफा देने के लिये कहा और उसका इस्तीफा होता है । और जैसा मैंने कहा, उसको अपनी पार्टी में और लेजिस्लेचर में मैजारिटी की सपोर्ट है, , लेकिन तब भी वह इस्तीफा देता है । और फिर आप इसको कोई मामूली बात समझते हैं, आप इसे बिल्कुल कोई साधारण बात समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो जाए ? आप अब भी समझते हैं कि इसमें क्या हुआ, और उसमें तो कुछ और ही होना चाहिए था ।

यह ठीक है कि मैं कोई दुश्मनी के नाते इस बात पर विचार नहीं कर सकता, कोई विच हंटिंग करना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन जो बात इंसाफ की है उसके करने में मैं कभी नहीं रुकूंगा ।

मैं यह समझता हूं कि मैंने अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी , पूरी तरह से निभाई । इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि एक एक कदम जो हमने लिया वह सारा कदम सोच समझ कर लिया और ठीक से लिया । उसमें कोई कमजोरी की बात नहीं है । इस बात में भी कोई सचाई नहीं है कि कहीं से दब गए, या किसी ने दबा दिया। यह कहना कि साहब कहीं मीटिंग हुई, उस मीटिंग का असर पड़ा, यह बात बिल्कुल नहीं है ।

जब शुरू में इस चीज को देख रहे थे तो ठीक है कि होम मिनिस्टर साहब का यह खयाल हुआ था कि इसमें काफी खराबी है और उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए और उसक देखभाल होनी चाहिए । लेकिन यह बात तब की है जब कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी, न बातचीत हुई थी, न ये डाक्यूमेंट आए थे । मगर उसके बाद क्या हुआ ? मैं समझता हूं कि इसी हाउस में होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि कोई प्राइमा-फैसी केस उन के खिलाफ बनता है । तो जब उस चीज को आप पूरी तरह देखें और पूरी तरह एग्जामिन करें तभी आप ठीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं । इसलिए मेरा अपना खयाल यही है कि जो कार्रवाई हुई वह ठीक है, और जहां तक हमारी गवर्नमेंट की बात है, हम उससे ज्यादा आगे जाने को तैयार नहीं हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आप मजबूर किए जायेंगे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : खैर यह बात ठीक है, आप मजबूर करे तो वह भी हम देखेंगे कि आप कैसे मजबूर करते हैं ।

श्री राम सेवक यादव : जनता मजबूर करेगी ।

श्री नाथ पाई : देश मजबूर करेगा ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज ने इस देश के अन्दर अपने हाथ में गवर्नमेंट ली है, और इतनी शिकायतें करप्शन की उनके मिनिस्टरों के खिलाफ थी लेकिन किसी एक के खिलाफ उस गवर्नमेंट ने दूसरी पोलिटिकल पार्टी के कहने पर उसने कार्रवाई नहीं की । मैं परसोनली जाता हूं, कागजात देखें हैं, कैसेज देखें हैं, और मैं ने उन से कहा कि आपको इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए लेकिन रत्ती भर देखभाल किसी कागज की नहीं की गयी ।

एक माननीय सदस्य: जिस पर यह आरोप है , उसका नाम बताया जाए।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बेबुनियाद इल्जाम है । हम भी देखेंगे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसलिए यह कहना कि हम ही दूध के धोए हैं और बाकी सब साफ नहीं हैं . . . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : हम इन्सान हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बस यह बात सही है कि हम सब इन्सान हैं, और इन्सान में कमजोरियां भी होती हैं । कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं , उधर भी हैं, इधर भी हैं, खराबियां उधर भी हैं, इधर भी हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उधर ज्यादा हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक वायुमंडल हमको बिल्ड करने की जरूरत है ।

जैसा हम ने कहा, ये तमाम कदम हम ने लिए हैं, और हम ने एक कोड आफ कंडक्ट भी बनाया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उस पर अमल नहीं हो रहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके उस पर अमल किया जाए । लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसमें सब के सहयोग और मदद की जरूरत है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सन्थानम कमेटी का क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । यहां भी तो एक कोड आफ कंडक्ट है, उस पर भी तो अमल होना चाहिए । अब हमें सुनना चाहिए ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा मैं ने कहा कि सवाल ऐसा है कि इसमें हम सब को मिल जुल कर मदद करनी होगी तब इसको पूरा किया जा सकेगा ।

जहां तक हमारी पोलिटिकल रेसपांसिबिलिटी है, और आफिस में होने से हमारे ऊपर आती है, उसको हम मानते हैं और उस बोझ से हम बचना नहीं चाहते, उसे हम शर्क नहीं करना चाहते ।

द्विवेदी जी ने कहा कि मिनासाहब का नाम भी मैं ने अपने बयान में दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कैबिनेट सब कमेटी ने उनका नाम उसमें शामिल किया । मुझे लिखकर बताया गया और उसके बाद जब वह बयान मेरे पास आया था तब मैं ने उनका नाम उसमें शामिल किया ।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन साधारणतया यह कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि साहब एक कमजोरी है, एक ड्रिफ्ट है और इनडिसीज़न है । मैं इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं नहीं समझता कि किस मानी में, किस चीज में, यह बात कही जाती है कि ड्रिफ्ट है, इनडिसिज़न है आज हमारे मुल्क में हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, टेढ़े सवाल हैं ,

Shri Solanki: Foreign policy, Sir.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : : फारिन पालिसी भी है । मैं जानना चाहता हूं कि किस बता में ड्रिफ्ट है । जहां तक हमारी बेसिक पालिसीज का सवाल है, वे बहुत साफ हैं, चाहे वह नान एलाइनमेंट हो, चाहे वह पीसफुल कोएग्सिसटेंस की बात हो, चाहे डिस-आरमामेंट की बात हो, चाहे पीस की बात हो——

श्री हरि विष्णु कामत : चाहे चीन की बात हो ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चीन की बात भी । और जहां तक अन्य देशों का सवाल है, जो हमारे खिलाफ हैं उनको छोड़ कर, हम उनके साथ अपने अच्छे सम्बन्ध कायम करने की कोशिश करते हैं ।

श्री हरिविष्णु कामत : चीन के साथ भी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं, वह तो मैंने कहा कि जो हमारे खिलाफ हैं उनको छोड़

दीजिए । लेकिन जैसा कि मैं ने कहा, हम फारिन पालिसी के सिलसिले में भी उन्हीं चीजों पर अमल कर रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि कहीं किसी देश की मित्रता हमने इस बीच में खोई है ।

Shri Ranga: Everywhere.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बल्कि हमें और ज्यादा विश्वास और भरोसा मिला है उन देशों से, चाहे वह यू० एस० एस० आर० हो चाहे वह यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वे दूसरे मुल्क हों, उन्होंने हमको विश्वास और भरोसा दिलाया है कि वे अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और उसे कायम रखेंगे ।

हमारी इकानामिक पालिसी को लीजिए या फुड की पालिसी को लीजिए । यह ठीक है कि खाने के बारे में कठिनाइयां रही हैं, दिक्कतें रही हैं । लेकिन हमने जो नीति इस बारे में बनायी उस पर हम ने अमल किया। जहां तक जोन बनाने की बात है, हम ने आज यह सोचा कि हमें जोन्स कायम रखना आवश्यक है क्योंकि हम एक बफर स्टाक, एक रिजर्व बिल्ड अप करना चाहते हैं अपने देश में और उसके लिए जो सरप्लस स्टेट्स हैं वह अपने यहां अनाज और गल्ला खरीदें तब उनकी मदद से हम एक बफर स्टाक और रिजर्व बना सकते हैं । मैं उसके ब्यौरे में ज्यादा नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी यह पालिसी सारे देश की पालिसी है । यह ठीक है कि जब हमारा बफर स्टाक और रिजर्व बन जाएं तो हम उस पालिसी को रिव्यू कर सकते हैं और उस पर सोच विचार कर सकते हैं । लेकिन जो आज हमारी पालिसी है उसका फायदा आज भी है । मारकेट में अनाज आ रहा है —

Shri Ranga: Not good.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : साथ ही साथ कीमतें भी कुछ नीचे आ रही हैं । मेरा अपना खयाल है कि अगर अनाज का दाम और उस का भाव गिरता है तो और चीजों के दाम भी गिर सकते हैं ।

हमने अपने बजट में डिफिसिट फाइनेंसिंग नहीं किया —

Shri Ranga: Question.

18 hrs.

श्री लाल बहादुर शास्त्री और डिफिसिट फाइनेंसिंग न करके हम ने थोड़ी इस बात की कोशिश की है कि उसकी वजह से हमारी इकानामी पर अच्छा असर पड़े । हमारे सामने एक नये समाज, एक सोसायटी के निर्माण की बात है और उस में हम चाहते हैं कि हमारे कोमन मैन, जो हमारे कमजोर भाई हैं, उन की एक मदद और पूरी सहायता की जाय । (इंटरप्शंस) हम ने इस बजट में भी कुछ कदम उठाये हैं, कुछ बातें की हैं और वैसे भी अपने प्लान में उस के लिए खास जगह रखना चाहते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का एक वातावरण, एक वायुमंडल पैदा करना कि साहब एक ड्रिफ्ट है, कुछ मुनासिब नहीं होगा । अब यह कहने को तो कोई भी कह सकता है इस में कोई शक नहीं है लेकिन यह देश को मजबूत बनाने की बात नहीं है । इसलिए इन बातों को, एक सारे राष्ट्र के हित में, एक सारे मुल्क को ध्यान में रख कर करने की जरूरत है । मैं इतना ही कहूंगा कि यह गवर्नमेंट जो आज यहां है, मजबूती से है, रहेगी, चलेगी और काम करेगी ।

Mr. Speaker: Shri Surendranath Dwivedy.

Shri Nath Pai: Mr. Speaker, Sir, yesterday a question was raised about certain documents that were being referred to and quoted by Mr. Dwivedy. I requested you that you, in pursuing your earlier decision on the same subject, be pleased to direct that the same document be placed on the Table of the House. You promised yesterday that you would consider the matter and let us know